बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 198 ● नई दिल्ली ● शनिवार 23 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली दंगा मामला- सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दे दी. दोनों 2020 से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने दोनों आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल दिए गए जमानत खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल(एसजी) एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया. हालांकि, उन्होंने UAPA मामलों में लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत देने को लेकर अलग-अलग फैसलों के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करेगा. कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेज दिया है. यूएपीए के तहत जमानत पर मतभेद के बाद ये मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने बड़ी बेंच को सौंपने के लिए रखा जाएगा. सोमवार को न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें देरी के आधार पर जमानत नहीं दी गई. आज उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने वाली बेंच ने कहा कि समान शक्ति वाली बेंच इतनी कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद के फैसले का उद्देश्य पहले के फैसलों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसने किसी मंशा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे समझना जरूरी है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह 2020 के दिल्ली दंगे के दो आरोपियों को अंतरिम जमानत दे सकता है और कहा कि वह दिल्ली पुलिस की इस दलील पर विचार करेगा कि यूएपीए मामलों में जमानत के कानूनी प्रश्न को एक वृहद पीठ के पास भेजा जाए, क्योंकि इस मामले पर विरोधाभासी विचार हैं. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने संकेत दिया कि पूरी संभावना है कि वह 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को जमानत देने पर विचार करेगी. दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए दोनों आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया कि वे मुख्य आरोपी नहीं है. हालांकि उसने अदालत

से पूछा कि क्या अजमल कसाब को मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी जा सकती थी. दिल्ली पुलिस ने इस कानूनी प्रश्न को वृहद पीठ के समक्ष भेजने का अनुरोध करते हुए पूछा कि क्या लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जमानत पर वैधानिक प्रतिबंधों को रद्द कर सकती है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि कसाब मामले (2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी) में गवाहों को बड़ी संख्या के कारण मुकदमे में सात साल की देरी हुई. राजू ने पीठ से कहा, "क्या इसका मतलब यह है कि अदालत कसाब को जमानत दे देगी? हमें यूएपीए मामले में आरोपी की भूमिका पर गौर करना होगा. अगर हाफिज सईद को भारत लाया जाता है तो मामले में बड़ी संख्या में गवाह होंगे और अगर सुनवाई में देरी होती है, तो क्या अदालत उसे जमानत देगी? यह सब हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है.

कोई एक नियम नहीं हो सकता. शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अब्दुल खालिद सैफी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रेखा जॉन और तस्लीम अहमद की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा को बताया कि संभवतः उन्हें राहत मिल जाएगी और अदालत आज या 25 मई को आदेश सुनाएगी.बहस के दौरान राजू ने कहा कि यूएपीए के तहत जघन्य अपराधियों को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को इस अदालत ने कई बार अपने निर्णयों में बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत आने वाले अपराधों में आरोपियों का एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुछ जघन्य अपराधों हो सकते हैं और कुछ उनके सहयोगी हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक आरोपी की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है. राजू ने कहा कि गुलफिशा फातिमा मामले में पांच जनवरी को दिया गया फैसला सही था क्योंकि उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग थी इसलिए उन्हें जमानत दी गई. 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. एएसजी ने कहा कि सैफी और अहमद को जमानत दी जा सकती है क्योंकि वे मुख्य आरोपियों की श्रेणी में नहीं आते हैं.

सुवेंदु अधिकारी पीएम केस में गलत गिरफ्तारियों पर भड़के मनीष सिसोदिया , बोले- बीजेपी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंदनाथ रथ की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद शुक्रवार को एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मामले में गिरफ्तारियों के संचालन पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने लिखा कि सिंह और उनका परिवार भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ों, ईडी-सीबीआई की छापेमारी और फर्जी मामलों में गिरफ्तारियों का भी जमकर समर्थन किया होगा। उन्होंने इन सब पर भी तालियां बजाई होंगी। भाजपा को उनकी तालियों से और भी ज्यादा हिम्मत मिली होगी – कि जब चाहे, जिस आरोप में चाहे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, मुठभेड़ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज सिंह को रिहा नहीं किया जाता तो अंधभक्त मीडिया पुलिस द्वारा आरोपी को गोली मारने की घटनाओं को प्रचारित कर देता। लेकिन शुक्र है भगवान का। वे बच गए। वरना, भाजपा के अंधभक्त मीडिया पूरे देश में शोर मचा रहा होता कि भाजपा की पुलिस ने मास्टरमाइंड को मार गिराया है। भाजपा के लिए जो वाहवाही वे दे रहे थे, वही उनके अपने ही मुठभेड़ में गोलियों में तब्दील होने वाली थी। हत्या मामले में गिरफ्तार राज सिंह के इस आरोप के बाद ये बयान सामने आया है कि पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया था और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद एएनआई से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि अयोध्या से अपनी मां के साथ लौटते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन पर ऐसे अपराध को कबूल करने का दबाव डाला गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। सिंह ने कहा कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मुझे किसी और राजकुमार सिंह समझ लिया गया था। मैं अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गया था। घर लौटते समय पुलिस की एक टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, न ही सबूत मांगे। उन्होंने मुझे मुठभेड़ की धमकी दी और जबरन कबूल करवाने की कोशिश की।

आरक्षण क्यों खत्म? आईएएस अफसरों के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल, आरक्षण पर बहस तेज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्नत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लगातार दिए जाने पर सवाल उठाए और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कोटा के माध्यम से प्राप्त सामाजिक गतिशीलता अंततः परिवारों को आरक्षण प्रणाली से बाहर कर देगी। पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण लाभ से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उन बच्चों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाया जिनके माता-पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं। दोनों आईएएस अधिकारी हैं, दोनों सरकारी सेवा में हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। सामाजिक उन्नति के अवसर मौजूद हैं। अब सरकार ने इन सभी लोगों को बाहर करने के आदेश जारी किए हैं और वे इस बहिष्कार पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अदालत ने आगे कहा कि शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। इसलिए, बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करना कभी भी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएगा। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। मामले में पेश हुए अधिवक्ता शशांक रत्नू ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को उनके वेतन के कारण नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण बाहर रखा गया है और उन्होंने गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और उच्च आय वर्ग (क्रीमी लेयर) के बीच अंतर करना आवश्यक है।

नीट अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है, जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह द्वारा संसद की एक समिति के समक्ष की गई टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में हुई धांधली को दबाने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि देश के लाखों युवाओं के लिए एनटीए अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी बृहस्पतिवार को संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे।

सूत्रों के अनुसार, जब समिति के कई सदस्यों ने सवाल किया कि नीट-यूजी परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ, तो एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने उन्हें बताया कि परीक्षा का कोई पेपर उनके सिस्टम के माध्यम से लीक नहीं हुआ। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 2018 में एनटीए के गठन के बाद से मोदी सरकार और उसका तंत्र एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी को सचाई को दबाने के लिए पेपर लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर रहा है।

आज हमें खबरों से पता चला है कि एनटीए महानिदेशक ने कल एक संसदीय समिति के सामने दावा किया था कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था। रमेश के अनुसार, यदि यह सच है, तो यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बेईमानी है क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक गेम पेपर, जिसमें असल परीक्षा में आए दर्जनों सवाल शामिल थे, परीक्षा की तारीख से काफी पहले छात्रों के पास था। रमेश ने सवाल किया, अगर यह लीक नहीं है, तो फिर क्या है? मोदी सरकार अब इसे नकारने की कोशिश क्यों कर रही है? उन्होंने कहा, मोदी सरकार इससे पहले भी नीट-यूजी 2024 में सामने आई व्यापक अनियमितताओं को दबाने की कोशिश कर चुकी है। यदि उस समय सचाई स्वीकार कर कार्रवाई की गई होती, तो शायद नीट 2026 की यह त्रासदी टाली जा सकती थी।

एनसीईआरटी किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर लिखने वाले राइटर्स को बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर लिखने के लिए जिम्मेदार तीन राइटर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लेखकों मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार पर सरकारी नौकरियों से रोक लगाने वाला आदेश वापस लिया है. इससे पहले कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश जारी किया था कि इन सभी को तुरंत सभी सरकारी कामकाज से हटाया जाए, हालांकि अब इन सभी को राहत दे दी गई है. इंडियन्स की कक्षा 8वीं किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर जोड़ा गया था. इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कोर्ट भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है. इसके लिए पूर्व सीजेआई के एक बयान का भी जिक्र किया गया था. मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन्हें तुरंत सभी रखो, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालयों में सरकार के वित्तपोषित सिलेबस और शैक्षणिक परियोजनाओं से अलग कर दिया जाए.

ब्रिटेन में दो-फाड़

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लेबर पार्टी आंतरिक कलह में घिरी हुई है। स्थानीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते संसद में लेबर पार्टी के लगभग एक चौथाई सदस्यों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इस राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है जिससे सरकार की उधार लेने की लागत प्रभावित हो रही है। परिवर्तन की बढ़ती मांगों के बीच, उनके दो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खुले तौर पर उनके उत्तराधिकारी बनने की रणनीति बना रहे हैं, जबकि स्टार्मर अपने सरकारी कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। लेबर पार्टी के मुख्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने चुनौतीपूर्ण राजनीतिक माहौल के बावजूद देश की सेवा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई। हाल ही के कुछ वर्षों में ब्रिटेन में दक्षिणपंथी नेताओं और विचारों का उत्थान हुआ है। उनका आंदोलन मुख्य रूप से अवैध आप्रवासन और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। दुनिया भर में भी कुछ वर्षों में कई प्रमुख देशों में दक्षिणपंथी सरकारों ने सत्ता संभाली है। लेकिन ब्रिटेन में नेतृत्व को लेकर तनाव ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि संभावित उत्तराधिकारी अपनी स्थिति मजबूत करने की होड़ में लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले वेस स्ट्रीटिंग और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम जैसे प्रमुख व्यक्ति नेतृत्व की दौड़ में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं, उपप्रधानमंत्री डेविड लैमी ने स्टार्मर के पद पर बने रहने के इरादे की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने पद छोड़ने की कोई समय सीमा नहीं बताई है। ब्रिटेन की राजनीति इस वक्त दो बिल्कुल अलग ध्रुवों पर खड़ी है, जहां एक तरफ इंग्लैंड में 'बाहरियों' के खिलाफ नफरत की लहर है, वहीं स्कॉटलैंड ने एक भारतीय छात्र को सांसद चुनकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। तमिलनाडु के रहने वाले और ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र क्यू. मणिकरन, जो स्कॉटलैंड में महज एक स्टूडेंट वीजा पर पीएचडी करने गए थे, वहीं की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय छात्र और ट्रांसजेंडर बन गए हैं, जैसे हमारे यहां घुसपैठिए कहते हैं, वहां अवैध प्रवासी कहते हैं और इस मुद्दे पर कई गोरे लोगों के नेता वहां की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और धीरे-धीरे उनको काफी समर्थन भी मिलता जा रहा है। एक तरह से ये वहां की राजनीति का घुसपैठिया फैक्टर बन गया है तो इंग्लैंड में तो ये साफ दिख गया लोकल काउंसिलों के चुनावों में कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म यूके पार्टी अब बड़ी पार्टी बन चुकी है और प्रधानमंत्री स्टार्मर का इस्तीफा तो उन्हीं की पार्टी के लोग मांग रहे हैं। ब्रिटेन में तीन देश गिने जाते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीन मिलकर ब्रिटेन कहे जाते हैं और इनमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ दो तो उसको कहते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए और स्कॉटलैंड में वहां की संसद के चुनाव हुए। स्कॉटलैंड में माहौल इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। स्कॉटलैंड ने तो 2020 में ये भी नियम बना दिया था कि कोई विदेशी अगर स्कॉटलैंड में आया हुआ है वैलिड वीजा पर। यानी वहां वैध कागजों के साथ रह रहा है तो वो वहां वोट भी डाल सकता है। उनका कहना था कि विदेशियों से अगर टैक्स ले रहे हैं तो उनको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड के लोगों का कहना है कि इंग्लैंड गोरे लोगों का ही था और गोरे लोगों का ही रहना चाहिए। ये रोष जो है वो खासकर नावों के जरिये गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड पहुंच रहे लोगों के खिलाफ ज्यादा है। जिन लोगों के खिलाफ नफरत की आग में इंग्लैंड जल रहा है उनमें जिनमें सीरिया, इराक वगैरह जैसे देशों के लोग होते हैं। वहां विरोध फिर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की तरफ भी मुड़ रहा है और क्योंकि देखने में तो भारतीय भी अलग नहीं होते तो उनके लिए भी वही भावना कई जगह दिख जाती है कि ये सब बाहर से आए लोग, गोरे लोगों के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। स्कॉटलैंड में वैसे भी वहां के गोरे लोगों की जनसंख्या घटती जा रही है और वो तो चाहते हैं कि वहां डॉक्टर आएं, इंजीनियर आएं, आईटी वाले आएं और वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। इसी वजह से उन्होंने 2020 में उनको वोट का ही अधिकार दे दिया था। भले ही वो स्कॉटलैंड के नागरिक ना हों। इतना ही नहीं, वोट का अधिकार दिया तो वहां ये भी मांग उठी कि अगर ये लोग वोट दे सकते हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए पिछले साल उन्होंने अपने कानून में बदलाव ऐसा किया कि दुनिया ही दंग रह गई। अब वैध तरीके से अगर वहां कोई वीजा लेकर रह रहा है तो वो स्कॉटलैंड के संसद का चुनाव भी लड़ सकता है। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी है तो सरकार में होने का उनको हक देना चाहिए। ब्रिटेन की सियासत में उथल-पुथल चल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वो पीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट के एक सदस्य ने बताया कि स्टार्मर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन वो पीएम पद से इस्तीफा अपनी शर्तों पर ही करेंगे। स्टार्मर प्रशासन से मतदाताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच, ब्रिटेन की लेबर सरकार खुद को संकट में फंसा हुआ पा रही है। पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति और बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ उनके संबंधों से जुड़े विवाद से लेकर स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन तक स्टार्मर के इस्तीफे की मांग अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ताजा झटका तब लगा जब स्टार्मर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया। शनिवार को स्ट्रीटिंग ने कहा कि वो लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए भविष्य में होने वाले किसी भी मुकाबले में स्टार्मर को चुनौती देंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली -एक जाल, जिससे मुक्ति आवश्यक

हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा जाल बन गई है, जिसमें लाखों-करोड़ों युवा फंस रहे हैं। यह प्रणाली न तो सच्चे कौशल विकसित करती है और न ही नवाचार को प्रोत्साहित, बल्कि यह छात्रों को एक सांचे में ढालकर असल जीवन की ओर धकेल रही है। बदलाव की मांग अब न केवल जरूरी, बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। सफल उद्यमियों की कहानियां गवाह हैं कि बड़ी कंपनियों के संस्थापकों ने अक्सर पारंपरिक शिक्षा के इस जाल से खुद को बचाया। उनकी सफलता का राज रट्टा मारने या परीक्षा में अंक लाने में नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच, जोखिम लेने की क्षमता और निरंतर सीखने में छिपा है। जहां अमीर बच्चे बेहतर संसाधनों और अतिरिक्त कोचिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब परिवार के बच्चे सीमित अवसरों में संघर्ष करते रह जाते हैं। शिक्षा की इस व्यवस्था में रचनात्मकता को कुचला जा रहा है। उदाहरण के लिए, अधिकतर कक्षाओं में बच्चों को सरल दृश्य बनाने या मानकीकृत उत्तर लिखने को कहा जाता है, न कि स्वतंत्र सोच विकसित करने को। परिणामस्वरूप, वे किसी बड़े कारखाने की असेंबली लाइन से निकलने वाले उत्पादों की तरह एक जैसे बन जाते हैं। समाज और परिवार प्रतिशत और रैंकिंग की दौड़ में बच्चों को धकेल रहे हैं। ऐसे में जीवन को 'दौड़' बताकर तनाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि वास्तव में हर बच्चे की अपनी गति और प्रतिभा होती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ अपवादों को छोड़ कर कक्षाएं अभी भी सौ साल पुरानी शैली में चल रही हैं। बोर्ड, चॉक और रट्टा-आधारित पढ़ाई छात्रों को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पा रही। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध उदाहरण यहां पूरी तरह लागू होता है, मछली को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा देकर उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन करना अन्याय है। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं, जब 1835 में एक नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य सच्चा सशक्तिकरण नहीं बल्कि आज्ञाकारी नागरिक तैयार करना था। आज भी स्कूल-कॉलेज उन पूर्वनिर्धारित भूमिकाओं के लिए ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं, न कि नवप्रवर्तक या नेता। ग्रेडेशन सिस्टम बुद्धिमत्ता को केवल परीक्षा अंकों तक सीमित कर देता है, जबकि संचार, समझौता कौशल और समस्या-समाधान जैसे जीवन-महत्वपूर्ण गुणों की उपेक्षा की जाती है। ऐसे में इन सब के परिणाम भयावह हैं। स्नातकों में से आधे से अधिक नौकरी के योग्य नहीं पाए जाते। कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश के बाद संचार की कमी, सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी और निरंतर सीखने की इच्छा की कमी उजागर हो जाती है।

जर्मनी जैसे देशों में दोहरी शिक्षा प्रणाली है, जहां सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव जुड़ा होता है। लेकिन हमारे यहां छात्र स्नातक होने तक केवल किताबी ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। नतीजा- अच्छे अंक लाने वाले छात्र भी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। आपको याद होगा जब 2025 में राजस्थान के चपरासी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,000 पदों की भर्ती के लिए करीब 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 85 से 90 प्रतिशत उम्मीदवार उच्च शिक्षित (ग्रैजुएट, पोस्ट-ग्रैजुएट, बी.टेक और पीएच.डी.) थे। इस जाल का सबसे दर्दनाक पहलू मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। नौकरी न मिलने की निराशा में हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं या गुनाह का रास्ता अपना लेते हैं। आई.आई.टी. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में दाखिला पाने की होड़ में व्यक्तिगत रुचि और क्षमता को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे हताशा बढ़ती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा डिग्री-केंद्रित हो गई है, कौशल-केंद्रित नहीं। इसलिए समय आ गया है कि हम डिग्री से कौशल की ओर मुड़ें। वित्तीय शिक्षा अनिवार्य हो।

बच्चों को एसेट-लायबिलिटी का अंतर, मुद्रास्फीति से लड़ना, निवेश बनाम खर्च और जल्दी बचत करने का महत्व सिखाया जाए। स्कूलों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और आर्थिक मामलों जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही बिजनेस सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, ताकि बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले बनें। जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने के लिए गणना-आधारित प्रयोगों को प्रोत्साहन मिले। हमारे शिक्षक इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनका नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों से लैस होना और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन जरूरी है। आज के भाग-दौड़ भरे युग में मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल भी शिक्षा का हिस्सा बनें।

बच्चे गणित तो सीखते हैं लेकिन तनाव प्रबंधन नहीं। समय प्रबंधन, नागरिकता भावना, संचार कौशल 7वीं कक्षा से अनिवार्य हों। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच विकसित करना होना चाहिए। सरकार, शिक्षाविद्, अभिभावक और समाज को मिलकर काम करना होगा। तभी हमारा युवा वर्ग न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में योगदान देगा।

सम्पादकीय...

मार्को रूबियो की भारत यात्रा

राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिका का पुनः सदर बनने के बाद भारत के साथ इस देश के सम्बन्धों का मंथन जिस प्रकार चल रहा है उसके विश्व व्यापी आयाम हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने के साथ ही दुनिया की तेज गति से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था का देश भी है। दोनों देशों के सम्बन्ध भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से हिचकोले भी खाते रहे हैं मगर 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद इनमें गुणात्मक परिवर्तन आया और अमेरिका ने भारत को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी अपने पूंजी निवेश से दिया परन्तु भारत में 1991 के बाद बनी सरकारों ने इस मोर्चे पर एहतियात से काम लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए उसी हद तक खोला जिससे उसके राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 1991 के बाद के भारत-अमेरिकी सम्बन्धों की यदि समीक्षा की जाये तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज की तारीख में भारत अमेरिका को अधिकतम निर्यात करने वाला देश है और व्यापार सन्तुलन इसके पक्ष में करीब 46 अरब डॉलर का है। यह स्थिति तब है जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है और आधुनिकतम टैक्नोलॉजी का अधिष्ठाता भी समझा जाता है। अतः भारत को इसके साथ अपने सम्बन्ध निर्धारित करते समय सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा 'महाजन' देश भी है जिसके चलते वह आपसी सम्बन्धों में सबसे पहले अपने हितों को साधता है। भारत के साथ इसके सम्बन्धों की भी हमें निरपेक्ष भाव से इसी दृष्टि से समीक्षा करनी होगी और सोचना होगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने पिछले दिनों भारतीय आयात माल पर सर्वाधिक ऊंची 50 प्रतिशत शुल्क दरें क्यों लागू की थीं ? हालांकि इसके बाद अमेरिका की ओर से भारत के साथ जिस व्यापार समझौते की घोषणा की गई और भारत ने भी जिसे स्वीकार किया, उसमें शुल्क दरों में बदलाव किया गया परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस समझौते में भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के लिए सीमित समझौतावादी नीति को भी अपनाया जिससे भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक हित सधे रहें और भारत का इसके साथ व्यापार सन्तुलन लाभ में ही चलता रहे। हालांकि इस समझौते की भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में तीखी आलोचना हुई परन्तु अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रम्प की शुल्क नीति के विरुद्ध फैसला आने के बाद यह समझौता बट्टे-खाते में चला गया है और दोनों देश नये सिरे से कारोबारी करार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री मार्को रूबियो इसी पृष्ठभूमि में आगामी 23 मई से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं जिसे भारत के नजरिये से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दौरान नई दिल्ली में 'क्वाड' संगठन देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक भी होगी जिसमें श्री रूबियो हिस्सा लेंगे। ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी विदेश मन्त्री की यह पहली भारत यात्रा होगी। अपनी इस यात्रा में श्री रूबियो भारत के साथ व्यापार के अलावा ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी बातचीत करेंगे। दरअसल अगले महीने फ्रांस में दुनिया के सात अग्रणी देशों का जी-7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी न्यौता दिया गया है।

VB- G RAM G : ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर दोहरा हमला

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) संभवतः स्वतंत्रता के बाद बनाया गया सबसे कारसाज कानून था। यह कानून सिर्फ गरीबों के पक्ष को कोई हस्तांतरण ही नहीं करता था। यह कानून रोजगार निर्माण को महज एक योजना स्थापित नहीं करता था, जैसी इससे पहले आए ''काम के लिए अनाज'' कार्यक्रमों ने की थी। यह कानून, चाहे सीमित रूप से ही सही, रोजगार के अधिकार को मान्यता देता था। मनरेगा कानून इसका प्रावधान करता था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को मांगने पर, 100 दिन तक का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तदनुसार इस कार्यक्रम ने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार निर्माण कार्यक्रम स्थापित किया था। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो अभाव के मारे ग्रामीण परिवारों को उल्लेखनीय राहत मुहैया कराता था। हालांकि, इस अधिकार को संवैधानिक मान्यता हासिल नहीं थी, फिर भी मनरेगा को स्थापित करने वाला कानून संसद द्वारा काफी बहस तथा चर्चा के बाद पारित किया गया था। और यह चर्चा सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सांसदों तथा व्यापक रूप से समाज के बीच भी हुई थी, जिसमें अकादमिक अर्थशास्त्री, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, मजदूरों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी संगठन, सभी की हिस्सेदारी थी। और यह कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो इसे अर्द्ध-संवैधानिक वचन का दर्जा दे देता था। बेशक, उस समय युनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस (यूपीए) सरकार के अंदर भी इस पर असहमति के स्वर भी थे, फिर भी बाहर से इस सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथ के दबाव की आखिरकार जीत हुई थी और सभी पार्टियां इसका समर्थन करने के लिए तैयार हो गयी थीं, जिनमें भाजपा भी शामिल थी।

वर्गीय है भाजपा की मनरेगा के प्रति दुश्मनी

इस कानून के जरिए शुरू हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने सिर्फ ग्रामीण गरीबों के लिए ही जीवन रेखा मुहैया नहीं करायी थी बल्कि शहरी गरीबों को भी जीवन रेखा मुहैया करायी थी, जैसा कि कोविड की महामारी के दौरान साफतौर पर देखने में आया था, जब बड़ी संख्या में शहरी गरीब अपने गांवों को लौटने के लिए मजबूर हो गए थे और वहां इस योजना के अंतर्गत मिल रहे काम ने ही उनकी मदद की थी। चाहे बहुत सीमित हद तक ही सही, इस कानून ने समाज में वर्गीय ताकतों के संतुलन एक तब्दीली की थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इसकी वजह से मजदूरी के बढ़ने का दबाव बनने की संभावना से भूस्वामी धनिक खतरा महसूस करते थे। बात गरीब मजदूरों पर सामाजिक नियंत्रण छूट जाने की भी थी, इस डर की भी थी कि गरीब अब कहीं हाथ से बाहर ही नहीं निकल जाएं। मनरेगा के प्रति यह वर्गीय विरोध, भाजपा के गिर्द संघनित हो गया, जो तब तक सत्ता में आ चुकी थी और जिसने इसके लिए काफी भरोसा अर्जित कर लिया था कि वह अपने इस वर्गीय पूर्वाग्रह को उजागर करती है तब भी, इस पूर्वाग्रह को जैसा कि उसका कायदा ही है, ''विकास'' की चिंता के आवरण में छुपा सकती है। अब यह दलील दी जाने लगी कि जिन अमूल्य संसाधनों का उपयोग ''विकास'' के लिए किया जा सकता था, उन्हें इस योजना के अंतर्गत, जो कि भ्रष्टाचार से ग्रसित है, बर्बाद किया जा रहा था। भाजपा के मामले में, वर्गीय पूर्वाग्रह के चलते मनरेगा का जो उसका विरोध था, उसे यह तथ्य और पुख्ता कर रहा था कि भाजपा जैसे फासीवादी संगठन अपरिहार्य रूप से जनता को कोई अधिकार दिये जाने के खिलाफ होते हैं। उनका जोर जनता के कर्तव्यों पर होता है न कि अधिकारों पर।

नये कानून की आड़ में हमला

इसी सब का नतीजा था कि मनरेगा की जगह एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून का बनाया जाना भी एक तरह से हाथ की सफाई का मामला था। यह कानून जल्दबाजी में संसद में पेश किया गया, इस पर मुश्किल से ही संसद में कोई बहस हो पायी और उसे फटाफट ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। और अब 1 जुलाई से यह कानून लागू भी हो जाएगा। इन नये कानून के जरिए, पहले वाले कानून से अनेक बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जहां पहले वाली योजना के तहत खर्चा 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा राज्यों को वहन करना होता था, अब यह खर्चा केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में उठाया जाएगा ('विशेष श्रेणी के राज्य' ही इसका अपवाद होंगे)। इस बदलाव का फैसला केंद्र सरकार ने इकतरफा तरीके से कर लिया है, जिस संबंध में राज्य सरकारों से कोई परामर्श ही नहीं किया गया है। अब वर्तमान नव-उदारवादी निजाम में राज्य सरकारें पहले ही वित्तीय संसाधनों की तंगी से जूझ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) है, जिसने उस बिक्री कर की जगह ले ली है, जो इससे पहले तक राज्य सरकारें अपने विवेक के हिसाब से लगा सकती थीं। ऐसे हालात में राज्यों को इस योजना का 40 फीसद बोझ उठाने के लिए मजबूर करने का एक ही अर्थ है कि इस योजना का गला फंड की तंगी से घोंटा जा रहा होगा और इसका दोष राज्यों के सिर पर मढ़ा जा रहा होगा। नये कानून से ऐसा भी लग रहा था कि मनरेगा के सार्वभौम कवरेज का त्याग किया जा रहा है और इसकी मांग-संचालित प्रकृति का भी त्याग किया जा रहा है, जो इसे रोजगार का अधिकार देने के जैसा बनाती थी। इसकी वजह यह है कि नयी योजना सिर्फ अधिसूचित ग्रामीण इलाकों में ही लागू होनी थी (हालांकि इन इलाकों में रोजगार के अधिकतम दिन, पहले की योजना के 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने वाले थे)। बहरहाल, केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं ने इससे इंकार किया है। नये कानून के पारित होने के फौरन बाद उन्होंने दावा किया था कि मनरेगा की तरह सार्वभौम कवरेज बना रहेगा और योजना की मांग संचालित प्रकृति भी अक्षुण्ण रहेगी, जबकि काम के दिनों की संख्या पहले के 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी।

पहले ही समेटा जा रहा है रोज़गार

लेकिन, यह नया कानून क्या प्रावधान करता है और क्या प्रावधान नहीं करता है, यह इसे देखते हुए अप्रासंगिक हो जाता है कि पुरानी योजना को अब किस तरह से संचालित किया जा रहा है और यह इस योजना को समेटे जाने के सिवा और कुछ नहीं है। यह इस योजना के संबंध में 2025-26 पर आयी रिपोर्ट से स्वत:स्पष्ट है। यह रिपोर्ट लिबटैक इंडिया द्वारा तैयार की गयी है, जो कि अकादमिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक कंसोर्टियम है। यह रिपोर्ट बताती है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2024-25 की तुलना में, 2025-26 में 8.9 फीसद घट गयी और इसके तहत रोजगार पाने वालों की संख्या में 9.1 फीसद की कमी हो गयी। व्यक्ति-कार्यदिवसों की संख्या और भी तेजी से घटी है, पूरे 21.5 फीसद। इसका अर्थ यह है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले मजदूरों को मुहैया कराए गए काम के दिनों की औसत संख्या में, उल्लेखनीय गिरावट हुई है। जहां तक समग्र परिमाण का सवाल है, जहां 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत 268.44 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था, 2025-26 में 210.73 करोड़ व्यक्ति-दिवस का ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। लिबटैक का अनुमान है कि अगर 2025-26 में प्रति परिवार औसत व्यक्ति-रोजगार दिनों की संख्या 2024-25 के बराबर ही रही हो, तो इसके तहत काम पाने वाले हरेक परिवार ने 2024-25 में, 2025-26 के मुकाबले 1938 रुपये ज्यादा कमाए होंगे। दूसरे शब्दों में मनरेगा के कमजोर किए जाने के चलते, मजदूरों की इतनी आय मारी गयी है। किसी को यह लग सकता है कि हो सकता है कि 2024-25 का साल एक असामान्य साल हो और इसलिए उसके साथ तुलना से कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता हो। इसलिए, थोड़ा और पीछे जाना उचित होगा। बहरहाल, यह बात याद रखने की है कि महामारी के आने से ठीक पहले, 1919-20 के वर्ष में, मनरेगा के अंतर्गत 265.35 करोड़ व्यक्ति-दिनों का रोजगार सृजित किया गया था। दूसरे शब्दों में 2025-26 में आयी गिरावट, सिर्फ 2024-25 की तुलना में ही उल्लेखनीय नहीं है बल्कि महामारी से पहले के सामान्य समय की तुलना में भी उल्लेखनीय है।

कुछ लोगों ने 2025-26 में आयी इस गिरावट को, काम की मांग में आयी गिरावट से जोड़ने की कोशिश की है और काम की मांग में गिरावट को, भारतीय देहात में गरीबी के घटने का नतीजा बताने की कोशिश की है। लेकिन, यह पूरी तरह से बेतुकी दलील है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ग्रामीण गरीबी में कमी इस तरह की दलील देने वालों की कल्पना की ही उपज है बल्कि यह तथ्य भी दर्ज करने वाला है कि 2025-26 में मनरेगा के लिए रोजगार हासिल करने के लिए नाम रजिस्टर कराने वाले परिवारों की संख्या भी वास्तव में 2024-25 के मुकाबले 3.2 फीसद बढ़ी हो थी और 2024-25 के 14.98 करोड़ से बढ़कर 15.46 हो गयी थी। जाहिर है कि अगर इस योजना के अंतर्गत रोजगार हासिल करने में लोगों को दिलचस्पी घट रही होती, तो वे बढ़ती संख्या में रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज नहीं कर रहे होते।

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर दोहरा हमला

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में गिरावट के कारणों में दो कारण खासतौर पर उभर कर सामने आते हैं। पहला है, मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में 5 फीसद की कटौती किया जाना, जिसे अगर पिछले मजदूरी के बकाया 10,000 करोड़ से जोड़ दिया जाए, जिसका सबसे पहले भुगतान करना पड़ा होगा, यह इस योजना का वित्तीय पहलू से गला दबाए जाने का मामला हो जाता है। और इसका नतीजा, कम रोजगार दिए जाने के रूप में सामने आता है। संक्षेप में इस कार्यक्रम के लिए कम फंड मुहैया कराए जाने के जरिए, जान-बूझकर इसकी अधिकार-आधारित, मांग-संचालित प्रकृति का उन्मूलन किया जा रहा था। अगर योजना के लिए आवंटित फंड अपर्याप्त होने के चलते किसी वर्ष विशेष में मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है या फंड का इस्तेमाल मजदूरी का पिछला बकाया चुकाने में होता है, तो संबंधित वर्ष के दौरान काम की मांग पूरी हुए बिना रह जाती है या मांग ही घट भी जाती है। उस सूरत में वित्त की उपलब्धता, एक व्यावहारिक अंकुश बन जाती है, जोकि वास्तव में यह बन गयी है। दूसरा कारण है, ''भ्रष्टाचार'' को रोकने के नाम पर, इस कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकीय बदलाव किया जाना, जो व्यवहारतः बड़ी संख्या में मजदूरों का इस कार्यक्रम के दायरे से बहिष्करण बन जाता है।

मणिपुर और लद्दाख - एक बार फिर

भाजपा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य असम में अपनी चुनावी जीतों को लेकर भले ही उत्साहित हो, लेकिन मणिपुर और लद्दाख में उसे अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह शांति केवल दिखावटी थी। यह स्थायी नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए बनी हुई शांति थी। लद्दाख में वादे पूरे न होने को लेकर लोगों में नाराजगी सुलग रही है, वहीं मणिपुर एक बार फिर तनाव के मुहाने पर खड़ा है। इसी महीने हुए एक बम विस्फोट में दो बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही शांति फिर भंग हो गई। बाजार बंद रहे, पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने तेल के टैंकरों में आग लगा दी, जबकि महिलाओं और युवाओं की पुलिस से झड़पें हुईं। इसके बाद सड़क जाम और नाकेबंदी का सिलसिला भी शुरू हो गया। स्थिति एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। अब रुख लद्दाख की ओर करें, जहां हालात अब भी पूरी तरह शांत नहीं हैं। हिंसा भले कम हुई हो और लोग राजनीतिक वार्ता की तैयारी कर रहे हों, लेकिन बातचीत में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने जैसी प्रमुख मांगों के पूरा होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। इसके बावजूद स्थानीय नेताओं को उम्मीद है कि बातचीत एकतरफा नहीं होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के शब्दों में, बातचीत का मतलब यह होता है कि दोनों पक्ष कुछ दें और कुछ लें। वार्ता लचीलेपन पर आधारित होती है, जिद पर नहीं। जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि लद्दाख के लोग अपनी मांगों से पीछे हट जाएंगे लेकिन हमें यह भरोसा मिलना चाहिए कि सरकार भी कुछ कदम आगे बढ़ाएगी और हम भी। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा और स्थानीय जमीन तथा नौकरियों की सुरक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग अब भी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने सामाजिक और पर्यटन क्षेत्रों में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें बहुत कम और बहुत देर से उठाए गए कदम माना जा रहा है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संरक्षण जैसी बुनियादी मांगों को उस गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ नहीं लिया जा रहा, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य दूरदराज के गांवों तक प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाना बताया गया था। विश्वास बहाली की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जारी आदेश वापस लिए जाने के बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया। हालांकि, वांगचुक की रिहाई को लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं। पहला पक्ष यह मानता है कि यदि सरकार उन्हें रिहा नहीं करती तो अदालत ऐसा कर सकती थी, क्योंकि उनकी पत्नी गीतांजलि उस मामले को मजबूती से लड़ रही थीं, जिसे उस समय पूरी तरह मजबूत और अभेद्य मामला बताया जा रहा था। माना जा रहा है कि अदालत से संभावित फटकार और असहज स्थिति से बचने के लिए सरकार ने पहले ही उन्हें रिहा करने का फैसला कर लिया। दूसरा पक्ष इसे विश्वास बहाली का प्रयास मानता है, जिसके जरिए सरकार लद्दाख के लोगों को यह संदेश देना चाहती थी कि वह बातचीत के पक्ष में है और गतिरोध समाप्त करना चाहती है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सरकार राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग मानने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर सरकार का अपना तर्क भी है। यदि किसी एक क्षेत्र में आंदोलनों और प्रदर्शनों के दबाव में सरकार झुकती दिखाई देती है तो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी मांगों की बाढ़ आ सकती है। साथ ही कोई भी मजबूत सरकार खुद को दबाव में झुकती हुई नहीं दिखाना चाहती। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सरकार पूरी तरह झुकने से बच रही है। वांगचुक की रिहाई को लेकर यहां भी दो तरह की चर्चाएं हैं। एक पक्ष का कहना है कि उनकी रिहाई बिना किसी शर्त के हुई है, जबकि दूसरा मानता है कि इसके पीछे कोई समझौता हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केंद्र सरकार ने उन्हें रिहा कर उनकी चुप्पी खरीद ली है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए ठोस आधार बहुत कम है, लेकिन रिहाई के बाद वांगचुक का अपेक्षाकृत शांत रहना संदेह जरूर पैदा करता है। उनकी ओर से दिखाई जा रही संयमित प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि उन्हें फिलहाल शांत रहने की सलाह दी गई है। वांगचुक का मानना है कि इस समय सकारात्मक शुरुआत सबसे अधिक जरूरी है। उन्होंने कहा, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सरकार की मंशा कोई सकारात्मक कदम उठाने की नहीं है, बल्कि वह केवल मुश्किल स्थिति से निकलना चाहती है, लेकिन मैं इस बात पर विचार नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा निभाएगी और भरोसे का ऐसा माहौल बनाएगी जिससे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सार्थक बातचीत हो सके, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिलहाल इंतजार करो और देखो की स्थिति मणिपुर और लद्दाख, दोनों जगह दिखाई दे रही है। हालांकि हाल के दिनों में मणिपुर का संघर्ष एक बार फिर हिंसक मोड़ ले चुका है। ताजा हिंसा के बाद राज्य सरकार की पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो संघर्ष अब तक मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय तनाव तक सीमित था, वह अब नागा समूहों तक भी फैल गया है। हालिया हत्याओं के पीछे नागा उग्रवादी समूहों का हाथ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। चर्च सभा से लौट रहे चर्च नेताओं की राजमार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुकी और नागा समुदायों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच मणिपुर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार के लिए यह स्थिति किसी दुविधा से कम नहीं है। एक ओर वह संघर्षरत समूहों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर समुदायों के बीच खाई हर पल और गहरी होती जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ी जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ मैतेई समुदाय की चिंताओं का समाधान निकालना है। यह काम कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हालांकि कुछ लोगों को नए मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह के नेतृत्व में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जिन्होंने इसी वर्ष अशांत राज्य की कमान संभाली है। उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें एक कुकी-जो समुदाय और दूसरा नागा समुदाय से है।

अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है कि वह लद्दाख और मणिपुर दोनों को राहत और भरोसे का एहसास दिलाए, जबकि इन क्षेत्रों के लोग लगातार उपेक्षा और उदासीनता के आरोप लगा रहे हैं। हालिया चुनावी जीतों के बाद भाजपा निश्चित रूप से उत्साह में है और इसके पर्याप्त कारण भी हैं लेकिन समय की मांग यह है कि उन घावों को भरा जाए जो वक्त, परिस्थितियों और शायद सरकारी उदासीनता ने लद्दाख और मणिपुर के लोगों तथा समुदायों को दिए हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ गैंगलैक्स एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील

कुशीनगर।

आगामी ईद-उल-अजहा के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की उपस्थिति में धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाए जाएं, किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, यातायात व्यवस्था सुचारु रखने तथा प्रतिबंधित पशुओं की बलि पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वेस्ट डिस्पोजल चिन्हित स्थानों पर ही किए जाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील एवं विवादित स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने, आपसी विवादों का समय रहते समाधान कराने तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नजर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की सत्यता जांचे बिना प्रतिक्रिया न दी जाए और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने कहा कि त्योहार के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी, पैदल गश्त और फ्लैग मार्च बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को विवाद पंजिका की समीक्षा कर संभावित विवादों का समय रहते निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, एडीएम न्यायिक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए धर्मगुरुओं ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने एवं त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का भरोसा दिलाया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

कुशीनगर।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के क्रम में आयोजित दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का समापन कुल 12 सत्रों में विभिन्न वक्ताओं के संबोधन के साथ सम्पन्न हो गया। अंतिम सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सहजानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यपद्धति का मूल मंत्र एक-दूसरे के प्रति पारिवारिक व्यवहार अपनाना तथा रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देना है। इसी कार्यपद्धति के बल पर 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ और 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। देश के 22 राज्यों में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सरकारें कार्यरत हैं। सहजानंद राय ने कहा कि भाजपा संगठन की कार्यपद्धति के आधार स्तंभ कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय एवं कोष हैं। इन्हीं के बल पर कार्यकर्ता संगठन की गतिविधियों को निचले स्तर तक पहुंचाकर बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली की विशेषता यह है कि सभी निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं और उनकी तैयारी पूर्व एवं पूर्ण रूप से की जाती है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा एवं जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी कामेश्वर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में 334 पार्टी पदाधिकारी अपेक्षित थे, जिनमें 303 पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय प्रशिक्षण 12 सत्रों में सम्पन्न हुआ, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अलग-अलग विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का जो वृहद स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह पांच पीढ़ियों की तपस्या का परिणाम है। वर्तमान में पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी चुनौती है।

ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता को विपक्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए सजग एवं संगठित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर 60 प्रतिशत से अधिक मत भाजपा के पक्ष में सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान हरि चरण कुशवाहा ने विचार परिवार, संतराज यादव ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा महेश शुक्ला ने भारत के समक्ष चुनौतियां एवं उनके निदान विषय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने प्रशिक्षण वर्ग की सफलता पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। वर्ग प्रमुख एवं पूर्व विधायक नंद किशोर मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रशिक्षण वर्ग के सह-संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष प्रवीण गुंजन ने किया, जबकि वर्ग गीत की प्रस्तुति जिला मंत्री धनंजय राय ने दी। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन प्रमुख रूप से सांसद विजय दूबे, राज्यसभा सदस्य आर पी एन सिंह, विधायक मनीष जायसवाल, विवेकानंद पाण्डेय, विनय गोंड, सुरेंद्र कुशवाहा एवं मोहन वर्मा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पकड़ी नोनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

महराजगंज।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर पकड़ी रेंज अंतर्गत पकड़ी नोनिया गाँव में एक प्रभावी जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को जैव विविधता के महत्व से अवगत कराना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुदृढ़ करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम सफल और सार्थक रहा।क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सुशांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि जैव विविधता केवल वन्य जीवों और पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-

जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए सतत विकास के उपायों पर भी चर्चा की गई।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरल और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवनशैली अपनाना। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं।क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सुशांत मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की रीढ़ है। इसके बिना न तो प्रकृति सुरक्षित रह सकती है और न ही मानव जीवन। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें और बच्चों को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं।इस दौरान वन दरोगा विपुल कुमार मिश्रा, वन रक्षक विक्रांत सिंह, वन्यजीव रक्षक शशि चौधरी सहित अन्य वनकर्मी तथा वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम प्रधान इन्द्रमणि वर्मा मौजूद रहे।

मंच पर जुटी जनप्रतिधियों की फौज, सांसद शशांक मणि और कृषि मंत्री शाही ने किया सीएम का स्वागत

देवरिया। भीमपुर गौरा का यह भव्य मंच राजनीतिक एकजुटता और जनपद के विकास के साझा संकल्प का गवाह बना। जनसभा की शुरुआत में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और स्थानीय प्रतीक भेंट कर उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा रखा। वक्ताओं ने कहा कि आज देवरिया को जो फोरलेन की कनेक्टिविटी मिल रही है, वह यहां के आर्थिक भूगोल को बदल देगी। इस दौरान बरहज विधायक दीपक मिश्रा, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद और रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की जन-आकांक्षाओं को मंच के माध्यम से साझा किया। कार्यक्रम में एडीएम, सीएमओ और दोनों नगर पालिकाओं की अध्यक्षों सहित भारी संख्या में जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसने इस आयोजन को एक जन-उत्सव में बदल दिया।

प्रशासनिक स्टॉल्स पर पहुंचे सूबे के मुखिया, खुद कराई बच्चों की गोदभराई और अन्नप्राशन

देवरिया। जनसभा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर कलेक्ट्रेट प्रशासन और विभिन्न विकास विभागों द्वारा लगाए गए 15 विशेष स्टॉल्स का बेहद आत्मीयता से निरीक्षण किया। बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) के स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खुद नवजातों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म पूरी कर उन्हें पोषण किट प्रदान की। दिव्यांगजन कल्याण विभाग के स्टॉल पर उन्होंने दिव्यांग नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें आधुनिक ट्राइसाइकिल वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर व बस्ती, गन्ना विभाग, उद्यान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदर्शित किए गए स्थानीय उत्पादों और मॉडलों की गहन समीक्षा की।

एसी से अचानक गर्मी में जाना खतरनाक, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक; डॉक्टर ने बताया बचाव का तरीका

गोरखपुर। भीषण गर्मी के बीच राहत पाने के लिए लोग लगातार एयर कंडीशनर (एसी) का सहारा ले रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी दी है। डाक्टरों का कहना है कि एसी से अचानक तेज गर्मी में निकलना या बाहर की गर्मी से सीधे वातानुकूलित कमरे में पहुंचना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तापमान में अचानक होने वाला यह बदलाव शरीर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल असर डालता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलाजी ओपीडी में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 ब्रेन स्ट्रोक पीड़ित पहुंच रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि इनमें से अधिकांश मामलों में अचानक ठंडे और गर्म वातावरण के बीच बार-बार आने-जाने की आदत प्रमुख कारण बनकर सामने आई है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। यदि समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया जाए तो निर्जलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एसी में रहने के बाद अचानक तेज धूप या गर्म वातावरण में जाता है तो शरीर को तापमान के अनुरूप ढलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इससे रक्तचाप में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है। यही स्थिति ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। इसी तरह तेज गर्मी से सीधे अत्यधिक ठंडे कमरे में पहुंचने पर भी शरीर पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने के कारण पानी और आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है।

स्वास्थ्य विभाग में 24 आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त, नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला

कुशीनगर। स्वास्थ्य विभाग में नियमों को दरकिनार कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए 24 सफाईकर्मी एवं सपोर्ट स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में नियुक्तियों में अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार करीब तीन माह पूर्व तत्कालीन सीएमओ डॉ सुरेश पटारिया के कार्यकाल में 12 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर शिकायत सामने आई थी। मामले की जांच में नियुक्तियां नियमविरुद्ध पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश से उन्हें निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अन्य नियुक्तियों की भी समीक्षा की गई, जिसमें कुल 24 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। मामले में तत्कालीन कार्यवाहक सीएमओ डॉ बृजनंदन के कार्यकाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर लोगों में चर्चा है कि यदि आम व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की फर्जीवाड़े की घटना की जाती तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होती। ऐसे में अब निगाहें शासन और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।

कक्षा 9 में सीबीएसई के तीन-भाषा नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अगले हफ्ते सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले हफ्ते सीबीएसई को उस पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 1 जुलाई से शुरू होने वाली 9वीं क्लास के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने यह मामला उठाया। रोहतगी ने कहा, यह एक जरूरी पीआईएल है। याचिकाकर्ता छात्र, शिक्षक और माता-पिता हैं। वे सीबीएसई की नई पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं, जिसके तहत 9वीं क्लास में दो और भाषाओं को पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आग्रह करते हुए रोहतगी ने कहा, इससे अफ़रा-तफ़री मच जाएगी। सीजेआई ने कहा कि अगला हफ़्ता मिस्लेनियस हफ़्ता होगा और इस मामले को लिस्ट किया जाएगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा जारी एक हालिया सर्कुलर के अनुसार, बोर्ड ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली 9वीं क्लास के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं।

क्या है सीबीएसई की नई भाषा नीति?

सीबीएसई ने हाल ही में जारी अपने सर्कुलर में बताया था कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (NCF-SE 2023) के तहत लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार छात्रों को तीन भाषा स्तरों - आर1, आर2 और आर3 - के तहत पढ़ाई करनी होगी।

कब से लागू होगी व्यवस्था?

सीबीएसई की योजना के मुताबिक-
2026-27 सत्र से कक्षा 6 और 9 में तीसरी भाषा अनिवार्य होगी
धीरे-धीरे इसे आगे की कक्षाओं में बढ़ाया जाएगा
2030-31 तक यह व्यवस्था 10वीं कक्षा तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी
हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं में तीसरी भाषा के लिए अलग बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

किन भाषाओं को मिलेगा स्थान?

सीबीएसई ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इस नीति में हिंदी और अंग्रेज़ी समेत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को विकल्प के रूप में रखा गया है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि छात्र एक ही भाषा को अलग-अलग स्तरों पर नहीं चुन सकेंगे। यानी ज्ञ1 और ज्ञ2 में समान भाषा नहीं रखी जा सकती।

दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत के, इनमें यूपी के 13 शहर

नई दिल्ली । देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। एक्यूआई बेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47°C से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह सभी शहर भारत के हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में गुरुवार को तत का पारा 30°C से ऊपर रहा। बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं, राज्य के मधेपुरा और सहरसा में गुरुवार को बारिश हुई, इस दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई।

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़! हाईकोर्ट ने दिया दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश , सरेंडर करेगा समर्थ

भोपाल ।

एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का फिर से पोस्टमॉर्टम होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमॉर्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को भी कहा है। मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया था। उधर, ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस ए.के. सिंह की वेकेशन बेंच के सामने उसके वकील ने कहा है कि समर्थ जिला अदालत में सरेंडर करेगा। वहीं, ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार के लिए लिस्ट की गई है। इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

ट्विशा के पिता बोले- केस को प्रभावित कर रहा समर्थ

ट्विशा के परिजन ने जमानत याचिका पर आपत्ति लगाई है। उसके पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है। वह फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है।

बिजली संकट पर अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा तंज

न नए प्लांट लगाना आपके बस में था, न आपकी तंग सोच में, यूपी खस्ताहाल

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट को लेकर भारतीय जनता दल (भाजपा) सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली के नए संयंत्र लगाना सरकार के वश की बात नहीं है। यादव ने एक्स पर लिखा कि बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुंह से ये कह ही देते 33660 सूपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं। भाजपा राज, यूपी खस्ताहाल। उन्होंने अपने संदेश के साथ स्मार्ट मीटर, लखनऊ, राजधानी, उत्तर प्रदेश शब्द भी जोड़े। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और कई जिलों से बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। विपक्ष लगातार बिजली संकट को लेकर सरकार को घेर रहा है।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की मांग- शिक्षामंत्री इस्तीफा दें

अभिजीत के माता-पिता बोले- 2 रातों से नहीं सोए, डर है बेटा गिरफ्तार न हो जाए

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शुक्रवार को सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिन बाद पहली ऑनलाइन पिटीशन लेकर लाए। जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दीपके ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा- आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आप सब लोग याद से याद इस पिटीशन पर साइन कीजिए। ताकि सिस्टम की गलती पर सवाल उठ सके। अभिजीत ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में बनाई है। सीजेआई ने 15 मई को सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगारों को 'कॉकरोच' कहा था।

पेरेंट्स नहीं चाहते बेटा राजनीति में जाए

ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी पेज के इंस्टाग्राम पर अचानक लोकप्रिय होने से उसके फाउंडर अभिजीत दीपके के माता-पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें डर है कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ सकता है। उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभिजीत के पैरेंट्स भगवान और उमीता दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं। दोनों ने गुरुवार को एक मराठी न्यूज चैनल को बताया- हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। अभिजीत के इस कदम के बारे में सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। भगवान ने कहा- आज का माहौल देखकर डर लगना स्वाभाविक है। चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स क्यों न हों। उसने खुद भी भारत लौटने पर गिरफ्तार होने का डर जाहिर किया है। वह मशहूर हो गया है, और ऐसे लोगों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछली दो रातों से मैं इसी चिंता में सो नहीं पाया हूं कि उसके साथ क्या हो सकता है। अभिजीत की मां ने कहा- हमें कॉकरोच पार्टी के बारे में अपने एक पड़ोसी से पता चला था। मैं चाहती हूं बेटा राजनीति से दूर रहे। वह आप के साथ काम कर चुका था। उस समय भी मैंने उससे कहा था कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और उसे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए।

नीट छात्रा से दरिंदगी- अजय राय बोले- न्याय के लिए घेरेंगे सीएम आवास, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से गरमाई सियासत

महोबा । महोबा जिले में अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा से मिलने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे। उन्होंने पीड़िता से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता को वह न्याय दिलाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें मुख्यमंत्री का घर घेरना पड़े। उन्होंने पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवती महोबा में किराये का कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल को वह लाइब्रेरी से घर लौटते समय लापता हो गई थी। 16 दिन बाद युवती को पुलिस ने बरामद किया था। बरामद होने के बाद युवती ने आरोपियों पर अपहरण, दुष्कर्म व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप था कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाए रखा। साथ ही, नशीले इंजेक्शन दिए और सिगरेट से भी दागा। इस मामले में पुलिस ने धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए तीन

आरोपियों को जेल भेजा है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। युवती के बयान देने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें युवती दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले युवक से शादी करती नजर आ रही है। इसमें स्केच से विवाह किए जाने जैसे तथ्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपहृता व आरोपी युवक के हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका डाले जाने, स्केच से विवाह किए जाने और परिजनों से सुरक्षा दिए जाने की पुलिस बात कह रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे और नीट की तैयारी कर रही छात्रा से पूरी घटना की जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि छात्रा के साथ अपराधियों ने 16 दिन तक शोषण किया। नशे के इंजेक्शन लगाए। तीन मई को छात्रा का नीट का पेपर था। 30 अप्रैल को छात्रा का अपहरण कर लिया गया। वहीं, अपराधी छात्रा से जबरन शादी भी करते हैं और उसे खुद लाकर घर छोड़ते हैं। आरोप लगाया कि छात्रा को पुलिस नहीं लाई। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठे रही। कहा कि उन्हें महोबा आने से रोकने के लिए कई स्थानों पर पुलिस लगाई गई, लेकिन वह पीड़िता से मिलने पहुंचे। कांग्रेस हर जगह जाएगी। दुष्कर्म पीड़िता नीट छात्रा से मिलने महोबा आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान से सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीड़िता परिवार से मुलाकात के बाद लौटते समय कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है।

सीएम धामी बोले- देवभूमि में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं, चारधाम यात्रियों को न हो कोई परेशानी

देहरादून । सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब सीएम धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत देनी चाहिए। हमने कहा कि नमाज तय जगह पर ही पढ़ी जानी चाहिए। किसी को भी इस व्यवस्था में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। इसलिए इस समय सड़कों को धार्मिक प्रदर्शनों का जरिया बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जाएगा। हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले सनातनी और चारधाम तीर्थयात्रियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ लोग हर चीज को केवल वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, और वह सही नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं में हमें वोट बैंक से ऊपर उठना चाहिए। हम किसी को भी देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे।

दिल्ली वालों को भारी पड़ेंगे अगले 6 दिन, भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से करें बचाव

नई दिल्ली। दिल्ली में गर्मी लगातार जोर पकड़ रही है। अभी सप्ताह भर दिल्लीवासियों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना होगा। तीखी धूप में तापमान में तेजी से वृद्धि होगी और लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने 28 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में चल रही है। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन भर आसमान साफ रहेगा एवं तेज धूप भी निकली रहेगी। गर्म हवा के थपेड़े भी खाने पड़ सकते हैं। उधर, शुक्रवार को सुबह 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 226 दर्ज किया गया। इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा मध्यम से खराब श्रेणी में ही चल रही है। पूर्वानुमान है कि हाल फिलहाल इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा।

आम आदमी पर महंगाई की डबल मार, अदरक-धनिया के दाम आसमान पर

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी हड़ताल के चलते सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया है। शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन था और इसका असर बाजार में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी - आजादपुर मंडी - में सब्जियां फिलहाल दोगुनी कीमत पर बिक रही हैं। धनिया की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अदरक भी अब 100 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 120 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। नींबू और पुदीना भी महंगे हो गए हैं। प्याज, आलू और लहसुन का व्यापार करने वाले व्यापारी फिलहाल अपना स्टॉक बेच रहे हैं, क्योंकि आज पूरे बाजार में केवल 20 ट्रक ही पहुंचे हैं - जो दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। मांग बढ़ने पर प्याज की कीमत और भी बढ़ सकती है। बाजार में उपलब्ध मौजूदा स्टॉक केवल एक-दो दिन के लिए ही पर्याप्त है। बाजार में सब्जियों के प्रभाव के अलावा, दिल्ली-एनसीआर में कई परिवहन और टैक्सी यूनियनों द्वारा शहर सरकार के उत्सर्जन और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुरुवार से शुरू की गई तीन दिवसीय हड़ताल के कारण यात्रियों को कुछ क्षेत्रों में यात्रा करने में

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 23 मई तक चलने वाली यह तीन दिवसीय हड़ताल मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने के निर्णय के खिलाफ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और अन्य जगहों सहित राष्ट्रीय राजधानी के कुछ सबसे व्यस्त स्थानों पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के तहत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक खड़े रहे। दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन चालकों के संघों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है और ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर टैक्सी और ऑटो किराए में वृद्धि की मांग की है। परिवहन संघ के एक बयान के अनुसार, यह हड़ताल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), अदालतों और दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र पर थोपी गई अन्यायपूर्ण और अनुचित नीतियों- के विरोध में है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार रघैर ने कहा कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग के ड्राइवरों को अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए, दिल्ली के अन्य संगठनों के समन्वय से चालक शक्ति यूनियन ने चक्का जाम का आह्वान किया है और 21, 22 और 23 मई को वाहन न चलाने की अपील की है।

शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन था और इसका असर बाजार में दिखना शुरू हो गया है।

45 डिग्री की गर्मी ही नहीं, 'तपती रातें' बन रहीं सबसे बड़ा खतरा...

कम नहीं हो रहीं उत्तर भारत के झुलसते शहरों की मुसीबतें

नई दिल्ली। भारत में गर्मी अब सिर्फ दिन की 45-48°C तपिश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब रातें भी उतनी ही खतरनाक होती जा रही हैं. हालात यह है कि रात 10 बजे के बाद भी तापमान 30°C के आसपास बना रहता है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही. वैज्ञानिक इसे 'नया हीट क्राइसिस' बता रहे हैं, जहां दिन और रात दोनों मिलकर शरीर पर लगातार दबाव डाल रहे हैं.

रातें क्यों बन रही हैं ज्यादा खतरनाक?

आम तौर पर सूर्यास्त के बाद तापमान गिरता है और शरीर को आराम मिलता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा. शहरों और कस्बों में दीवारें और कंक्रीट दिनभर की गर्मी को जमा कर रात में छोड़ देती हैं. इससे घर ओवन जैसे हो जाते हैं और नींद तक प्रभावित होती है. डेटा के मुताबिक भारत में रात का तापमान हर दशक करीब 0.21°C बढ़ रहा है और लगभग सभी राज्यों में यह ट्रेंड दिख रहा है. कई जगह न्यूनतम तापमान 28-30°C के बीच बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.

हीटवेव अब लंबी, ज्यादा तीव्र और लगातार

भारत के 'कोर हीटवेव जोन में गर्मी के दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 1961 से 2020 के बीच हीटवेव की अवधि में लगातार इजाफा हो रहा है. हर दशक में लू के दिनों और अवधि दोनों में वृद्धि दर्ज की जा रही है. 'सीवियर हीटवेव' यानी चार और लंबे समय तक रहती है. इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है. जब नमी ज्यादा होती है तो पसीना ठीक से सूखता नहीं. इससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता. फिर हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. यूपी, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 'हीट-ह्यूमिड दिन तेजी से बढ़े हैं.

शहर बन रहे 'हीट ट्रैप

देश के बड़े शहर अब Urban Heat Island बनते जा रहे हैं. शहर आसपास के इलाकों से 2°C से 10एफ़ ज्यादा गर्म रहते हैं. कारण है कंक्रीट, डामर, कांच की इमारतें. वहीं कम पेड़-पौधे व एसी और वाहनों से निकलने वाली गर्मी भी

तापमान में तपिश बढ़ा रही है. स्थिति का विडंबना यह है कि जितना ज्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल हो रहा है, उतनी ही ज्यादा गर्मी शहर में इकट्ठा हो रही है.

सूखी मिट्टी और कम बारिश की भूमिका

एक और बड़ा कारण है, मिट्टी में नमी की कमी. जब मिट्टी सूख जाती है तो ऊर्जा पानी सुखाने में नहीं लगती, बल्कि सीधी हवा को गर्म करती है. इस साल कम सर्दी, कम हिमालयी बर्फबारी और कम प्री-मानसून गतिविधियों ने भी जमीन को ज्यादा सूखा बना दिया है, जिससे हीटवेव और तीव्र हो गई.

जलवायु परिवर्तन का साफ असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज का असर है. हालिया विश्लेषण के अनुसार 2026 की हीटवेव पहले की तुलना में करीब 2एफ़ अधिक गर्म रही. करोड़ों लोग और अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियां इससे प्रभावित हुईं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं में प्राकृतिक बदलाव की भूमिका कम और मानवजनित उत्सर्जन की भूमिका ज्यादा है.

स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर असर

गर्मी अब कई स्तरों पर देश को प्रभावित कर रही है. स्वास्थ्य पर इसका असर दिख रहा है. हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. नींद की कमी से हृदय और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग और गरीब पर पड़ रहा है. अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. खेती पर भी इसका असर दिख रहा है. सूखी जमीन और कम बारिश से किसान परेशान हैं. इसके अलावा काम के दौरान उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है.

विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?

एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भारत को अब समर सर्वाइवल से आगे बढ़कर हीट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा. इसके लिए नेशनल हीट एक्शन प्लान बनाना होगा. शहरों में हरियाली को बढ़ाना होगा. इसके अलावा कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर देना होगा. साफ बात यह है कि भारत का हीट क्राइसिस अब सिर्फ दोपहर की तेज धूप तक सीमित नहीं रह गया है. असली खतरा अब उस गर्मी से है जो 24 घंटे बनी रहती है. दिन की तपिश और रात की घुटन मिलकर लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब आधी रात के बाद भी देश ठंडा नहीं हो रहा और यही संकेत देता है कि भविष्य की गर्मी और ज्यादा लंबी और खतरनाक होने वाली है.